



न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 ; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364

Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No. 14249/1022/2023

शिकायतकर्ता:

श्री पीयूष सरदाना

प्रतिवादी:

आयुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

1. शिकायत का सारांश:

1.1 श्री पीयूष सरदाना, जो बैंचमार्क लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित हैं, ने अपनी शिकायत 27.06.2023 को दर्ज की। उन्होंने कहा कि उन्हें 2019 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने लगभग चार वर्षों तक केवी ईटानगर में सेवा की है। दिव्यांग श्रेणी के तहत पात्र होने के बावजूद, उन्हें पिछले वार्षिक चक्र के दौरान स्थानांतरण नहीं दिया गया था। वह एक कृत्रिम पैर का उपयोग करते हैं, जो वर्तमान पोस्टिंग पर सेवा के दौरान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया था। ईटानगर का दुर्गम इलाका, जो एक कठिन स्टेशन है और असमान सड़कें हैं, ने उन्हें बार-बार असुविधा का सामना

करना पड़ा, जिसमें उनके कटे हुए पैर पर चोटें और घाव शामिल हैं। इसलिए, उन्होंने चंडीगढ़ में पोस्टिंग की मांग की है, जो उनके गृह नगर के करीब है और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है।

2. जारी नोटिस:

2.1 इस मामले को कमिश्नर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ 11.07.2023 को उठाया गया था, जिसमें प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों और सरकारी निर्देशों का हवाला दिया गया था, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 20 (5) और डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2013-एस्टेट (रेस) दिनांक 31.03.2014 के पैरा एच शामिल हैं। एक अंतिम अनुस्मारक बाद में 30.08.2023 को प्रतिवादी को भेजा गया था।

3. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुतियाँ:

3.1 सहायक आयुक्त (स्थापना-II और III), केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया दिनांक 05.10.2023 प्रस्तुत की और कहा कि शिकायतकर्ता को वार्षिक स्थानांतरण 2023 के दौरान उनके पहले पसंदीदा स्टेशन के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर-31, चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है, जैसा कि आदेश दिनांक 04.08.2023 द्वारा दर्शाया गया है।

4. अदालत द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के पोस्टिंग/स्थानांतरण पर कानूनी ढांचे के बारे में संचार:

4.1 चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं हुआ था, इसलिए अदालत ने प्रतिवादी को पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से दिव्यांग कर्मचारियों के पोस्टिंग/स्थानांतरण के मुद्दे पर कानूनी ढांचे को कवर करते हुए एक विस्तृत संचार भेजा और एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी। प्रतिवादी से कोई जवाब नहीं मिला।

5. अदालत द्वारा वर्तमान स्थिति की मांग के लिए संचार:

5.1 चूंकि किसी भी पक्ष ने मामले में आगे की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इस अदालत ने दोनों पक्षों को ईमेल के माध्यम से वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके बाद, 04.07.2025 को सुनवाई का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सुनवाई की तारीख 09-07-2025 निर्धारित की गई थी। जवाब में, शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल दिनांक 07.07.2025 में पुष्टि की कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है, क्योंकि उन्हें 2023 के वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) से चंडीगढ़ में उनकी पसंदीदा पोस्टिंग आवंटित की गई थी। तदनुसार, उन्होंने मामले को बंद करने और अपनी शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया है।

6. अवलोकन और सिफारिशें:

6.1 मामले के तथ्यों, पक्षों की प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान हो गया है। इसलिए, आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

6.2 तदनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यायुक्त की मंजूरी के साथ मामला निपटा दिया गया है।

(प्रवीण प्रकाश अम्बष्ट)
उप मुख्य आयुक्त



न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 ; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364

Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No. 14249/1022/2023

Complainant:

Shri Piyush Sardana

Respondent:

The Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan

1. Gist of the Complaint:

1.1 Shri Piyush Sardana, a person with benchmark locomotor disability, filed his complaint on 27.06.2023. He stated that he was appointed a Primary Teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) in 2019 and has served in KV Itanagar for nearly four years. Despite being eligible under the PwBD category, he was not granted a transfer during the last annual cycle. He uses a prosthetic leg, which was once damaged during his service at the current posting. The rugged terrain of Itanagar, being a hard station with uneven

roads, caused him frequent discomfort, including bruises and injuries to his amputated leg. Therefore, he has requested to be posted in Chandigarh, which is closer to his hometown and provides better access to medical facilities.

2. Notice Issued:

2.1 The matter was taken up with the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, on 11.07.2023, referencing relevant statutory provisions and government instructions, including but not limited to Section 20(5) of the Rights of Persons with Disabilities Act and Para H of DoPT Office Memorandum No. 36035/3/2013-Estt. (Res) dated 31.03.2014. A final reminder was subsequently forwarded to the Respondents on 30.08.2023.

3. Submissions made by the Respondent:

3.1 Assistant Commissioner (Estt-II&III), Kendriya Vidyalaya Sangathan filed their reply dated 05.10.2023 and submitted that the Complainant has been transferred to Kendriya Vidyalaya Sector-31, Chandigarh vide order dated 04.08.2023 as per his first choice of Station during Annual Transfer 2023.

4 . Communication by the Court of the Legal Framework on Posting/transfer of P.W.D:

4.1 Since the Complainant's grievance remained unresolved, a communication exhaustively covering the Legal Framework on the issue of Posting/transfer of employees with disabilities was sent to the Respondent vide the Court's letter dated 19.01.2024, and a report was sought within one month. No reply was received from them.

5. Communication by the Court for seeking the

current Status:

5.1 Since none of the parties communicated further progress in the case, this Court emailed both parties seeking the current status. The Complainant, through his email dated 12.06.2025, submitted. Consequently, a Notice of Hearing was issued on 04.07.2025, scheduling the Hearing on 09-07-2025. In response, the Complainant, in his email dated 07.07.2025, confirmed that his grievance has been resolved, as he was allotted his preferred posting to Chandigarh from Itanagar (Arunachal Pradesh) during the 2023 annual transfer process. Accordingly, he has requested closure of the case and has chosen to withdraw his complaint.

6. Observation and Recommendations:

6.1 Upon considering the facts, submissions of the parties, and available on the records of the Case, this Court concludes that the Complainant's grievance has been addressed. As such, no further intervention is deemed necessary.

6.2 Consequently, the case is disposed of with the approval of the Commissioner for Persons with Disabilities.

(Praveen Prakash Ambashta)
Dy. Chief Commissioner